कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी हरिद्वार।

पत्रांक: न–6 / सीएफओ–आर / 18

दिनांक: जून 13, 2018।

सेवा में

स्वामी / प्रबन्धक
मैसर्स विमल पेट्राथिन प्रा0लि0,
खसरा नं0 321 & 324, रायपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया,
भगवानपुर, रूड़की, जनपद हरिद्वार।

विषय: अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपके प्रार्थना पत्र दिनांक: 28.05.2018।

कृपया आपका आवेदन यूनिक नम्बर–37324875, दिनांक: 28.05.2018 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार प्रभारी फायर स्टेशन रूड़की, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी द्वारा दिनांक 06.06.2018 को उपरोक्त भवन / संस्थान जिसका पता मैसर्स विमल पेट्राथिन प्रा0लि0, खसरा नं0 321 & 324, रायपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया भगवानपुर रूड़की, जनपद हरिद्वार का है, का अग्निशमन सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय भवन / संस्थान की तरफ से श्री आनन्द शर्मा मौजूद थे।

उपरोक्त भवन / संस्थान एक औद्योगिक भवन है। भवन में कुल 01 तल है। जिसके प्लाट का क्षेत्रफल 9855.00 वर्ग मी0 है तथा उक्त भवन का क्षेत्रफल (Covered Area) 5502.00 वर्ग मी0 है। भवन / संस्थान की ऊँचाई 15 मी0 है। भवन / संस्थान में बेसमेन्ट है / नहीं है, जिसका क्षेत्रफल.....वर्ग मी0 है। भवन / संस्थान का पहुँच मार्ग की चौड़ाई लगभग 05 मी0 है, जो कि मुख्य मार्ग (18 मी0 चौड़ाई) से 500 मी0 दूरी पर है। भवन / संस्थान में कुल शून्य जीनें हैं। भवन / संस्थान में निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की गई है–

1. ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर 06 किग्रा0 क्षमता–30 अदद।
2. सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर 4.5 किग्रा0 क्षमता–04 अदद।
3. मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्यूशर 50 ली0 क्षमता–03 अदद।
4. फायर हाईड्रेन्ट–09 अदद, होज पाईप–18 अदद, ब्रांच–09 अदद।
5. मेन पम्प क्षमता 840 एल0पी0एम–02 अदद।
6. भूमिगत टैंक क्षमता 1,00,000 ली0–01 अदद।

उपरोक्त सभी व्यवस्थाओं की जाँच प्रभारी फायर स्टेशन रूड़की अग्निशमन द्वितीय अधिकारी श्री अनिल कुमार त्यागी द्वारा की गई, जो कि सन्तोषजनक पाई गई।

उपरोक्त आधार पर एवं उप निदेशक महोदय (प्र0 / तक0), अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड, देहरादून के अनुमोदन के उपरान्त अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत / नवीनीकरण इस आधार पर किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाये–

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन / संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
6. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराने का सुझाव दिया जाता है।

13.6.18

(राजेन्द्र सिंह खाती)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरिद्वार।

प्रतिलिपि: प्रभारी फायर स्टेशन रुड़की को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Scanned with CamScanner